निबंधन संख्या– S000589/2017 18

बिहार वित्त सेवा संघ

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पत्रांक .....

दिनांक .....

संरक्षक मंडल
श्री सच्चिदानंद झा
श्री संजय कुमार मावंडिया

अध्यक्ष
श्री नन्द किशोर सिंह
मो0–9431184941

उपाध्यक्ष
श्री नरेश कुमार
मो0–7903577040

महासचिव
श्री रणजीत कुमार
मो–7532977589

कोषाध्यक्ष
श्री कृष्णा मोहन सिंह
मो0–7542010088

संयुक्त सचिव
श्री आबिद सुबहानी
श्रीमति कुमारी गुंजन भारती
श्रीमति पुनीता कुमारी
सुश्री विनीता कुमारी
श्री आकाश आनंद

केन्द्रीय कार्यकारिणी
सभी प्रमंडलीय अपर आयुक्त (प्र0)
श्री किशोर कुमार सिन्हा
श्री विजय कुमार आजाद
श्री सुरेन्द्र प्रसाद
श्री दीपक कानन
श्री प्रशांत कुमार झा
श्री नन्द किशोर राज
श्री संजीव कुमार
श्री जाकिर अली अंसारी
श्री कार्तिक कुमार सिंह
श्री अनिल कुमार सिंह विधार्थी
श्री राजीव रंजन
श्री इरसाद आरिफ
श्री विवेक कुमार
श्री विशाल कुमार
सुश्री शिप्रा झा
श्री विकास कुमार सिंह
श्रीमति विनीता वत्स
श्री गौरव
श्री हरेराम
सुश्री आस्था गार्गी

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना।

विषयः– **सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या 5066 दिनांक 11.04.2019 को शिथिल कर बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति शीघ्र करने के संबंध में।**

संदर्भः– जरनैल सिंह बनाम एल.एन.गुप्ता, S.L.P. (C) 3062/2011 सह पठित सिवील अपील संख्या 4880/2017 (माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा L.P.A. 1066/2015 में पठित न्यायादेष दिनांक 30.07.2015 से उत्पन्न)मामले में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2022 को पारित न्यायादेश।

महोदया,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में बिहार वित्त सेवा संघ का अनुरोध है कि –

1. विगत लगभग चार वर्षों से पदाधिकारियों के प्रोन्नति का मामला लंबित है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना वाद मामलें में पारित आदेश के उपरांत से ही प्रोन्नति का मामला लंबित है। इस संदर्भ में विनम्रतापूर्वक कहना है कि राज्य सेवाओं में सामान्य प्रोन्नति का मामला किसी भी न्यायिक आदेश से प्रतिबंधित नहीं है। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना मामला में पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्य न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। उक्त मामले में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पूर्व ही राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 5066 दिनांक 11.04.2019 के माध्यम से सामान्य प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई, जिसके कारण बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों को आर्थिक क्षति के साथ इनके मनोबल पर भी कुप्रभाव पड़ा है। इस बीच बड़ी संख्या में बगैर प्रोन्नति पाये पदाधिकारियों की सेवा निवृत्ति भी हो गई। बड़ी संख्या में पदाधिकारी सेवानिवृत्ति के कगार पर

Scanned with OKEN Scanner

है।

2. प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित सभी वैसे मामले जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे, का **S.L.P. (C) 3062/2011** जरनैल सिंह बनाम एल. एन. गुप्ता से सम्मिलित कर दिया गया है। इससे राज्य सरकार के सिविल अपील संख्या 4880/2017 को भी सम्मिलित कर दिया गया।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जरनैल सिंह बनाम एल. एन. गुप्ता S.L.P. (C) **3062/2011** मामले में प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत दिनांक 28.01.2022 को पारित न्यायादेश द्वारा दिया गया है।

4. संघ भवदीय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराना चाहता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना मामले में पारित न्यायादेश दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या 4880/2017 को **S.L.P. (C) 3062/2011** के साथ संलग्न कर दिया गया है, जिसके संदर्भ में दिनांक 28.01.2022 को न्यायादेश पारित किया गया है। अतएव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश बिहार राज्य पर भी लागू होता है।

5. प्रसंगाधीन न्यायादेश दिनांक 28.01.2022 के आलोक में बिहार वित्त सेवा संघ का विनम्र अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प 5066 दिनांक 11.04.2019 को अविलंब शिथिल किया जाये ताकि बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति का मांग प्रशस्त हो सके।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भवदीय से सादर अनुरोध है कि अविलंब प्रोन्नति का मांग प्रशस्त किया जाये ताकि बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारियों के साथ न्याय हो सके एवं उनका मनोबल बढ़ा रहे ताकि राजस्व हित मे समर्पण भाव से कार्यरत रहे।

सादर।

अध्यक्ष

बिहार वित्त सेवा संघ
वीरचंद पटेल पथ पटना।

ज्ञापांकः– 21 दिनांक 31.01.2022

प्रतिलिपिः– राज्य कर आयुक्त सह सचिव बिहार, पटना के सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अध्यक्ष
31.01.22
(नन्द किशोर सिंह)

31.02.22